न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां

प्रकरण संख्या – 88/2021

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

<u>उनवान</u>

1 उगमा पिता देवा कीर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 द्वारका प्रसाद पिता उगमा लाल कीर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

––––––––––(प्रार्थी)

बनाम

1 कालू पिता घीसा कीर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 राजाराम पिता घीसा कीर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 सीता पत्नि घीसा कीर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 आशाराम पिता पूरण कीर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
5 कैदार पिता पूरण कीर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
6 कैलाश पिता पूरण कीर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
7 आशाराम पिता पूरण कीर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
8 लेखराज पिता पूरण कीर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
9 पारसी पुत्री पूरण कीर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
10 बदामी देवी पत्नि पूरण कीर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
11 इन्द्रा पुत्री लादू कीर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
12 दुर्गा पुत्री लादू कीर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
13 सीमा पुत्री लादू कीर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
14 शंकर पिता श्रवण कीर उम्र वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
15 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

–––––––––(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थीगण स्वयं

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक – 15.11.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 03.08.2021 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम फुलियाकलां पटवार मण्डल फुलियाकलां भू.अ.नि. फुलियाकलां तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 606 के **आ.न. 4788, 4789/5293 किता 2 रकबा 0.29 हैक्टयर भूमि** स्थित हैं। विपक्षीगण उक्त वर्णित आराजीयात के पड़ौसी/सहखातेदार हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आरा[illegible] सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिस[illegible] भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान [illegible]े।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 03.08.202[illegible] दर्ज रजिस्टर किया ज[illegible]पक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण अपना पक्ष रखने, हाजिर नही आये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.21 11:47:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भीलवाड़ा)

इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम फुलियाकलां दिनांक 15.11.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत वहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम फुलियाकलां पटवार मण्डल फुलियाकलां भू.अ.नि. फुलियाकलां तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 606 के **आ.न. 4788, 4789/5293 किता 2 रकबा 0.29 हैक्टयर** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक फुलियाकलां को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम फुलियाकलां के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि–

1 तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.21 11:47:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा